



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 07.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(3). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये 40 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 03 लाख 62 हजार 663 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये

उल्लेखनीय है साइबर अपराध से पीड़ित 40 व्यक्तियों के साथ साइबर अपराध में प्रचलित विभिन्न तरीको से कुल 03 लाख 62 हजार 663 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, आरक्षी प्रशान्त कुमार, आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित कर एवं गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की धनराशि वापसी हेतु प्रक्रिया MRM (Money Restoration Module) के तहत अथक प्रयास करके कुल 03 लाख 62 हजार 663 रुपये बरामद कराये गये।

नागरिकों के जीवन में वर्तमान समय में इंटरनेट, मेल एवं सोशल मीडिया ने बड़ी जगह बना ली है, ऐसे में दिनचर्या एवं ऑफिस के कार्यों में प्रतिदिन हमें इसका उपयोग करना होता है इसी में विभिन्न फ्रॉड के तरीके

जैसे जालसाजों द्वारा साइबर अटैक कर आम नागरिकों के गूगल अकाउंट/जी-मेल आईडी हैक किये जा रहे हैं। हैकर द्वारा जी-मेल आईडी हैक करने के बाद पीड़ित का मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी चेंज कर और अन्य फर्जी मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी को अपडेट किया जा रहा है। ऐसा कर देने से पीड़ित अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। अकाउंट हैक हो जाने से पीड़ित को अपने मोबाइल हैंडसेट में सेव कॉन्टेक्ट्स दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पीड़ित अपने जी-मेल अकाउंट का एक्सेस खो चुका होता है। जीमेल आईडी हैक हो जाने की पश्चात हैकर द्वारा पीड़ित के गूगल ड्राइव पर सेव फोटो, वीडियो कॉन्टेक्ट्स आदि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित के गूगल अकाउंट को अन्यत्र वेबसाइट पर रजिस्टर कर अपराध कार्य करने हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है।

यह सावधानी रखनी है

साइबर सेल प्रभारी चित्रकूट निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम ने बताया कि अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए अनजान नंबरों से आए हुए कॉल पर कॉलर द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास ना करें, मोबाइल फोन में कोई भी संदिग्ध एप्लीकेशन या एपीके फाइल डाउनलोड ना करें व ही अपनी ओटीपी को अनजाने व्यक्ति से शेयर न करें। ई-मेल टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के मैसेज में आयी नीले रंग की लिंक (यूआरएल) पर क्लिक न करें समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकाउंट (जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि) पर टू-स्टेप वेरीफिकेशन ऑप्शन हमेशा इनेबल रखें। अपने गूगल अकाउंट के सिन्क्रोरीटी कोड्स को किसी के साथ शेयर ना करें। गूगल पासवर्ड कभी भी अपना मोबाइल नंबर या अपनी जन्म दिनांक ना रखें पासवर्ड हमेशा अल्फान्यूमैरिक ही रखें। यदि आपके साथ

किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड/अपराध घटित होता हो जाता है तो सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर साइबर पर अपनी शिकायत रजिस्टर करें।

(4). आज दिनांक-08.10.2026 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्रीमती करिश्मा गुप्ता की उपस्थिति में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तथा पीड़ित की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, नगर निकाय, नगर पालिका या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए। बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीड़ित/पीड़िता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। पीड़िता का तत्काल समय सीमा के अन्दर विधि के अनुरूप मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा आर्थित रूप से कमजोर पीड़िताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें। SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यों एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। बाल विवाह पर रोक लगाया जाये तथा जनपदीय गठित टीम द्वारा भ्रमण कर बालकों से कराये जा रहे श्रम को प्रतिबंधित कराया जाये और जिनके द्वारा श्रम कराया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाये।

इस गोष्ठी में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हें CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेगी। यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चों को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये।

इस गोष्ठी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री एम.एन. त्रिपाठी, बाल संरक्षण अधिकारी श्री सौरभ सिंह, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय व जनपद के बाल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य विभागों के सदस्य व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 बलवन्त यादव व उनकी टीम द्वारा युवती से दुष्कर्म करने वाले के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.09.2026 को एक वादिया द्वारा थाना भरतकूप में सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त अमन कलार द्वारा वादिया की पुत्री उम्र करीब 22 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना उलहना देने पर अभियुक्त बब्बू द्वारा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुये गाली देना। इस सूचना पर थाना भरतकूप में आरोपी 1.अमन कलार उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र बब्बू 2.बब्बू पुत्र अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता उपर्युक्त को बरामद कर माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज कराया गया। पीड़िता की बयान के आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा 64(1) की बढोतरी की गयी।

आज दिनांक 08.10.2026 को उ0नि0 श्री बलवन्त यादव व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अमन कलार पुत्र बब्बू उपर्युक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री बलवन्त यादव

2.आरक्षी कामता सिंह

(6). आज दिनांक 08.10.2026 को WORLD INVESTOR WEEK-2026 के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में,प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में में शेयर मार्केट/स्टॉक एक्सचेंज में निवेश एवं निवेश संबंधी सुरक्षा के विषय में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में SEBI संस्था के AGM श्री अमित मवई, BSE से श्री प्रशान्त दीक्षित एवं KG फाउण्डेशन से श्री अमित जैन द्वारा जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला के दौरान शेयर मार्केट/स्टॉक एक्सचेंज में निवेश की प्रक्रिया, निवेश करते समय बरती जाने वाली सावधानियों, साइबर अपराध एवं ऑनलाइन निवेश के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाव तथा सुरक्षित निवेश के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही साइबर फ्रॉड के विभिन्न तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों के बारे में भी पुलिस कर्मियों को जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा कार्यशाला के आयोजन की सराहना करते हुए पुलिस कर्मियों को प्राप्त जानकारी का लाभ आमजन तक पहुंचाने तथा साइबर अपराध एवं ऑनलाइन निवेश संबंधी धोखाधड़ी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कार्यशाला आयोजन के दौरान साइबर सेल टीम, आरक्षी प्रशान्त एवं आरक्षी सर्वेश उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकूट पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2026 के तहत व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 08.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी साइबर श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता का नियमित अभियान के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों (आर्यावर्त बैंक रैपुरा,ग्राम झिलंग बहिलपुरवा,कस्बा मानिकपुर,जयरामराही इण्टर कॉलेज कर्वी,थाना परिसर राजापुर आदि स्थानों) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट एवं मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, CVV एवं OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें।

एटीएम का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति की सहायता न लें।

बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, मैसेज एवं लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें। डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सावधान रहें। पुलिस अथवा कोई सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पूछताछ के नाम पर आपको घर में कैद रहने या पैसे भेजने के लिए बाध्य नहीं करता।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी आदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन, ई-मेल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।

बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, दीपावली ऑफर, KBC अथवा अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगने वालों से सावधान रहें।

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer अथवा किसी अन्य रिमोट एक्सेस एप को मोबाइल में इंस्टॉल न करें।

टेलीग्राम/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ट्रेडिंग, गेमिंग अथवा निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले लिंक एवं APK फाइलों से सावधान रहें। अनजान लिंक से कोई एप डाउनलोड न करें।

कम समय में पैसा दोगुना करने, क्रिप्टोकॉरेसी में निवेश कर अत्यधिक रिटर्न दिलाने अथवा घर बैठे अधिक कमाई कराने वाली संदिग्ध योजनाओं के लालच में न आएं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि एवं वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक रूप से साझा न करें।

पुलिस/साइबर अधिकारी बनकर यदि कोई व्यक्ति फोन कर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण आदि का मामला बताकर अथवा आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर पैसे की मांग करे तो घबराएं नहीं और किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।

किसी भी संदिग्ध लिंक, QR कोड या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज न करें।

ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं आधिकारिक एप का ही प्रयोग करें।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से प्राप्त वीडियो कॉल, फोटो एवं लिंक को स्वीकार/ओपन करने में सावधानी बरतें।

अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट में मजबूत पासवर्ड एवं जहां संभव हो Two-Factor Authentication (2FA) का प्रयोग करें।

साइबर ठगी होने पर तत्काल करें शिकायत

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, साइबर ठगी या किसी अन्य प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

साथ ही साइबर अपराध की शिकायत <https://www.cybercrime.gov.in> पर भी दर्ज की जा सकती है। ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना दें।

(8). आज दिनांक 08.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा थाना भरतकूप का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना एवं हवालात का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों का अवलोकन करते हुए उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने, लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने, वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराध के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। थाना परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था, विद्युत, पेयजल एवं शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त एवं सुव्यवस्थित रखने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों को जनता के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार रखते हुए कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।

(9). आज दिनांक 08.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना भरतकूप क्षेत्रान्तर्गत रौली कल्याणपुर में प्रस्तावित नवीन पुलिस चौकी की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित चौकी की स्थापना के दृष्टिगत भूमि की स्थिति एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जाने का संदेश दिया गया।

(10). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश प्रताप सिंह, पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फॉस्ट ट्रेक कोर्ट चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनांक 08.10.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2023 धारा 376 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त उत्तम उर्फ मुकेश पुत्र रामलोचन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये व धारा 506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामलोचन को 01 वर्ष के सश्रम कारावास से अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.10.2023 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त उत्तम उर्फ मुकेश द्वारा वादिया को गांव के एक व्यक्ति के खेत में कपड़े उतारकर जबरन बलात्कार करना तथा वादिया के पिता द्वारा उलाहना देने पर अभियुक्त रामलोचन द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 231/2023 धारा 376, 504, 506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अभय राज सिंह द्वारा आरोपी अभियुक्त को दिनांक 11.10.2023 को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 15.10.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(11). पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लंबित वादों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गई गहन पैरवी तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गई प्रभावी प्रस्तुति एवं बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनांक 08.10.2026 को मुख्यालय स्तर से पैरवी हेतु चिन्हित थाना मानिकपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 16/2018, धारा 147,148,149,307 भा०द०वि० एवं 12 डी०ए०ए० एकट के आरोपी अभियुक्त 1. जंगलिया उर्फ पंजाबी उर्फ चुनदइया पुत्र पहरुवा, निवासी ग्राम नागर, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट 2.रजौला उर्फ चौधरी पुत्र शिवमंगल कोल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.02.2018 को उ०नि० श्री श्याम सुन्दर यादव, थाना मानिकपुर द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देना। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए अभियुक्त 1. जंगलिया उर्फ पंजाबी उर्फ चुनदइया पुत्र पहरुवा, निवासी ग्राम नागर, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट 2.रजौला उर्फ चौधरी पुत्र शिवमंगल कोल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना मानिकपुर में मु०अ०सं० 16/2018, धारा 147,148,149,307 भा०द०वि० एवं 12 डी०ए०ए० एकट बनाम 1. जंगलिया उर्फ पंजाबी उर्फ चुनदइया पुत्र पहरुवा, निवासी ग्राम नागर, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट 2.रजौला उर्फ चौधरी पुत्र शिवमंगल कोल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ०नि० श्री गुलाब चन्द्र सोनकर द्वारा की गई तथा दिनांक 19.12.2018 को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(12).सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.10.2026 को प्रस्तावित अश्विन मास पितृ विसर्जनी अमावस्या पर्व में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में दिनांक 09.10.2026 को प्रातः 05.30 बजे से दिनांक 10.10.2026 मध्यरात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक 10.10.2026 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कर्वी नगर में दिनांक 11.10.2026 से 30 दिवस, तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, (जो पूर्व हो), निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

क्र०सं० स्थान प्रतिबन्धित समय

1. लोढ़वारा मोड़, राजापुर मार्ग प्रातः 05:30 बजे से 21.30 बजे तक
2. रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड प्रातः 05:30 बजे से 22.00 बजे तक
3. खोह (पुलिस लाईन तिराहा) मानिकपुर रोड प्रातः 05.30 बजे से 22.00 बजे तक
4. शेषनपुरवा मोड़ सोनेपुर, सतना रोड प्रातः 05.30 बजे से 22.30 बजे तक
5. बेड़ी पुलिया (मृत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा) बांदा रोड प्रातः 05.30 बजे से 23.00 बजे तक
1. प्रातः 05.30 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुए भारी माल वाहन प्रातः 06.00 बजे तक प्रत्येक

दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेंगे।

2. नगर में वैवाहिक / धार्मिक / त्यौहार / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा / राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी।

(13).आगामी अश्विन मास पितृ विसर्जनी अमावस्या मेला के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय की उपस्थिति में थाना भरतकूप क्षेत्र के भरथौल में पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा रैन बसेरा का निरीक्षण कर वहां श्रद्धालुओं के ठहरने, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने हेतु पुलिस बल को सतर्क एवं मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी मेला के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।